

श्री भजन लाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री



श्री झाबर सिंह खर्रा
माननीय मंत्री,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

राजस्थान आवासन मण्डल

विशिष्ट पंजीकरण योजना 2026

अधिस्वीकृत पत्रकार बन्धुओं के लिए
नई आवासीय योजना, सेक्टर–9 इन्दिरा गांधी नगर
जगतपुरा, जयपुर



आवेदन अवधि
17.10.2026–16.11.2026

आय वर्ग
MIG-B

(विशिष्ट पंजीकरण योजना–2026) | (रेरा पंजीकरण संख्या–RAJ/P/2026/5422)

हमारा प्रयास- सबको आवास

मूल्य रु0 300 + 54 = 354/–

राजस्थान आवासन मण्डल

"विशिष्ट पंजीकरण योजना 2026"
अधिस्वीकृत पत्रकार बन्धुओं के लिए
नई आवासीय योजना, सेक्टर–9 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा,जयपुर
मध्यम आय वर्ग–ब, के बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग
(B+S+9) 72 (3BHK) फ्लैटों के पंजीकरण हेतु
आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

कार्यक्रम

1.	ऑनलाइन आवेदन–पत्र उपलब्ध	:	17.10.2026 से 16.11.2026 तक
2.	ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	:	16.11.2026 सांय 6.00 बजे तक
3.	योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान		**अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट** www.rhb .rajasthan.gov.in **पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।**
4.	अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि		
5.	वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान		
6.	वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान		

सम्पर्क सूत्र

उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय **राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर–8, मालवीय नगर, जयपुर** **मो. नं. : 9982609486**	**आवासीय अभियन्ता, खण्ड–प्रथम्,** **राजस्थान आवासन मण्डल,** **सेक्टर –04 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर** **मो. नं. : 9828506580**

अधिक जानकारी हेतु समन्वयक अधिकारी श्री भारत भूषण जैन, (मो. 9828363615) से सम्पर्क करें।

विशेषः

1. रेरा पंजीकरण संख्या– RAJ/P/2026/5422
2. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.rhb .rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन भरे जायेगे इस हेतु आवेदन पत्र कीमत रू. 354/– मय जीएसटी पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड मार्फत जमा कराई जा सकती है या चालान प्रिंट कर निम्नलिखित बैंक में जमा कराया जा सकता है।

Bank :	BANK OF MAHARASTRA	IFSC Code:	MAHB0000389
A/c No:	60587923353	Branch :	Jaipur

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु

यह सुनिश्चित कर लें कि :–

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही ऑनलाईन आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।

2. आवेदन पत्र के साथ Online स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न हैः–

i. आय संबंधी प्रमाण पत्र (ITR अथवा वेतन स्लिप अथवा विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र)।

ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।

iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।

iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्वहस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।

v. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।

राजस्थान आवासन मण्डल

"विशिष्ट पंजीकरण योजना 2026"

अधिस्वीकृत पत्रकार बन्धुओं के लिए

नई आवासीय योजना, सेक्टर–9 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा,जयपुर

मध्यम आय वर्ग–ब, के बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग

(B+S+9) 72 (3BHK) फ्लैटों के पंजीकरण हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल **अधिनियम – 4 वर्ष 1970** के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास/फ्लैट उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास/फ्लैट उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल का विशेष रुप से ध्यान आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग–अ के लिए मकान/फ्लैट उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास/फ्लैट बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

जयपुर की आवास/फ्लैट समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद अधिस्वीकृत पत्रकार बन्धुओं के लिए नई आवासीय योजना, सेक्टर– 9 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा,जयपुर (विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2026) प्रारम्भ करने जा रहा है, जिसमें मध्यम आय वर्ग–ब के लगभग 72 (B+S+9) फ्लैट निर्मित किये जाने प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका–1

फ्लैटों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :–

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय	अनुमानित संख्या	फ्लेट का बिल्ट–अप क्षेत्रफल	फ्लेट का सुपर बिल्ट–अप क्षेत्रफल	अनुमानित लागत (लाख में)
1.	मध्यम आयवर्ग (ब)	रू. 12,00,001/– से 18,00,000/– तक *	72	118.38 व.मी. (1273.77 व.फुट)	154.639 व.मी. (1663.92 व.फुट)	74.688

* **इस योजना में मध्यम आय वर्ग–ब (MIG-B) के अतिरिक्त दो निम्न आय वर्गो, मध्यम आय वर्ग–अ (MIG-A :- रू. 6,00,001/– से 12,00,000/– तक) एवं अल्प आय वर्ग (LIG:- रू. 3,00,001/– से 6,00,000/– तक) तथा एक उच्च आय वर्ग (HIG:- रू. 18,00,001/– से अधिक) के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेगे। वरियता निर्धारण पुस्तिका के महत्वपूर्ण बिन्दु संख्या xi के अनुसार रहेगा।**

विशेषः– पूर्व में रेरा में दो ब्लॉक में 144 Nos 3BHK फ्लेट्स नियोजित है । अब एक ब्लॉक में 3BHK फ्लेट्स एवं दूसरे ब्लॉक में 2BHK फ्लेट्स प्रस्तावित होने से फ्लेटो की संख्या में परिवर्तन होगा। अतः रेरा संशोधन उपरान्त 2BHK फ्लेट्स हेतु पृथक संशोधित पुस्तिका जारी की जायेगी। 3BHK फ्लेटो की कीमत यथावत रहेगी।

नोट :–

(i) फ्लैटों का अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में फ्लैटों की केवल अनुमानित लागत ही बताई जा रही है, जिसमें कमी अथवा बढोतरी हो सकती है। चुंकि मण्डल फ्लैटों का आवंटन "बिना लाभ बिना हानि सिद्धान्त" के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा फ्लैटों की अन्तिम रुप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताऐं :–

यह आवासीय योजना सेक्टर–09, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा,जयपुर में स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :–

1.	खातीपुरा रेलवे स्टेशन	2 कि.मी.
2.	जेएनयू हॉस्पिटल	2 कि.मी.
3.	आरटीओ ऑफिस	3 कि.मी.
4.	जगतपुरा रेलवे स्टेशन	6 कि.मी.
5.	जवाहर सर्किल	11 कि.मी
6.	अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा	10 कि.मी
7.	गांधीनगर रेलवे स्टेशन	13 कि.मी

(अ) पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्ते :–

बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक/राआम/मुसप्र/2026/254 दिनांक 7.08.2026 के अनुसार नवीन आवेदन हेतु पात्रता के लिए अतिरिक्तं शर्ते :–

i. आवेदक अधिस्वीकृत पत्रकार हो एवं आवेदन के समय राजस्थान में कार्यरत हो।
ii. यह प्रमाणित करने के लिए की वह पूर्णकालिक पत्रकार है, संबंधित पत्रकार को अपने समाचार पत्र/पत्रिका के संपादक/नियोक्ता द्वारा वर्तमान में पूर्णाकालिक पत्रकार होने का प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।
iii. अधिस्वीकृत पत्रकार वैतनिक/अवैतनिक श्रेणी का हो सकता है।
iv. अधिस्वीकृत पत्रकार जिनकी स्वयं की आजीविका पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर हो।
v. एक परिवार के एक ही व्यक्ति को ही आवास आवंटन किया जायेगा। परिवार का अर्थ अधिस्वीकृत पत्रकार, उसकी पत्नी/पति एवं अवयस्क बच्चे है।
vi. जो पत्रकार राज्य सरकार से आवंटित सरकारी/देवस्थान/अन्य किसी विभाग के आवास/फ्लैट में रह रहे हो उन्हे आवास आवंटन के एक वर्ष की अवधि में सरकारी आवास/फ्लैट खाली करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा।
vii. जिन पत्रकारों ने पूर्व में राज्य सरकार की किसी भी योजना में फ्लैट लेने का रियायती दर पर लाभ ले लिया है, वे इस योजना के पात्र नही होगे।
viii. आवेदक पत्रकार को आवेदन–पत्र के साथ जन–सम्पर्क निदेशालय से अधिस्वीकृत पत्रकार हेतु जारी पहचान–पत्र की स्वप्रमाणित छाया–प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अधिस्वीकृत पत्रकारों की उपरोक्त विशेष पात्रता शर्तो के साथ ही शेष नियम मण्डल की विशिष्ठ पंजीकरण योजना के अनुरूप हैः–

फ्लैटों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों व उपनियमों एवं अनुबंधों के निम्नानुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक (अधिस्वीकृत पत्रकार), जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं अविवाहित वयस्क बच्चे पुत्र व पुत्री भी स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से आवास आवंटन की पात्रता रखेगा।
3. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
4. आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर हैं तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।
5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/ वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :–

तालिका–2

क्र. सं	वर्ग	आरक्षण का विवरण		प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित					कुल योग
				सामान्य (57%)	अनुसूचित जाति (16%)	अनुसूचित जनजाति (12%)	(G-9) दिव्यांग 5%	निराश्रित एवं भूमिहीन (G-11) एकल महिला 10%	
1	जी–8	1	अधिस्वीकृत पत्रकार	40	12	9	4	7	72

7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है, तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
8. पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है, जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :–

तालिका –3

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय	SRS पंजीकरण राशि (रुपये में)	आवेदन शुल्क (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1.	मध्यम आयवर्ग (ब)	रू. 12,00,001/– से 18,00,000/– तक *	Rs. 80000.00 + 5% GST = Rs. 84000.00	Rs 300.00 + 18% GST = Rs.354.00	Rs 1500.00 + 18% GST = Rs.1770.00	86,124.00

* इस योजना में निर्धारित आयवर्ग से दो आयवर्ग ऊपर अथवा दो आयवर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आयवर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आयवर्ग के ऊपर के आयवर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आयवर्ग से नीचे के आयवर्ग को तृतीय वरीयता दी जायेगी।

9. इस योजना में पंजीकरण राशि आवास के आय वर्ग अनुसार ली जावेगी एवं वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :–

(a) **मध्यम आय वर्ग–ब''** (12,00,001/– से 18,00,000/– तक की वार्षिक आय) वाले अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रथम वरीयता।

(b) **उच्च आय वर्ग''** (18,00,001/– से अधिक वार्षिक आय) वाले अधिस्वीकृत पत्रकारों को द्वितीय वरीयता।

(c) **अल्प आय वर्ग''** (3,00,001/– से 6,00,000/– तक की वार्षिक आय) व **''मध्यम आय वर्ग–अ''** (6,00,001/– से 12,00,000/– तक की वार्षिक आय) के आवेदक यदि इस योजना में आवेदन करते हैं, तो नियमानुसार उनकी तृतीय वरीयता होगी।

मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/कार्या.आ./2019/323 दिनांक 09.07.2019 के अनुसार आय वर्ग का वर्गीकरण निम्नप्रकार है :–

तालिका–4

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय सीमा
1	आर्थिक दृष्टि के कमजोर आय वर्ग	रू. 3,00,000/– तक
2	अल्प आय वर्ग	रू. 3,00,001/– से 6,00,000/– तक
3	मध्यम आय वर्ग–अ	रू. 6,00,001/– से 12,00,000/– तक
4	मध्यम आय वर्ग–ब	रू. 12,00,001/– से 18,00,000/– तक
5	उच्च आय वर्ग	रू. 18,00,001/– से अधिक

10 फ्लैटों का आवंटन नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित फ्लैटों में 45 प्रतिशत फ्लैट नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाएंगे।

11. नगद भुगतान पद्धति से आवास/फ्लैट आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं। पंजीकरण की शेष राशि फ्लैट/आवास के आवंटन पत्र के माध्यम से ली जावेगी।

13. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस मध्यम आय वर्ग 'ब' के आवेदक हेतु राशि रूपये 1500/– + 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।

14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध फ्लैटों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित की जावेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।

15. सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के फ्लैटों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका–5 अनुसार हैः–

फ्लैट आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार फ्लैट आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त. पूर्वग्रहण राशि–पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास/फ्लैट आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

तालिका–5

क्र. सं.	आय वर्ग	SRS पंजीकरण राशि (रुपये में)	पूर्वग्रहण राशि की किश्ते अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत– पंजीकरण राशि, शेष राशि का प्रतिशत (रूपये में)		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	मध्यम आय वर्ग–ब	Rs. 80000.00 + 5% GST = Rs. 84000.00	35%+1% GST	30%+1% GST	30%+1% GST

16. आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

17. आवेदकों को **बिन्दु सं. 15** के अनुसार जारी किये जाने वाले पूर्व ग्रहण राशि पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।

18. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध फ्लैटों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित की जावेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में लौटा दी जावेगी।

19. **रिफण्ड**

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) योजना में सफल आवेदन घोषित होने के उपरान्त पूर्व ग्रहण राशि मांग पत्र जारी होने के पश्चात् आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है, तो आवास/फ्लैट की अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक (मय जीएसटी) कटौति की जावेगी एवं शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

20 प्रस्तावित योजना यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से मूर्तरुप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 30 माह पश्चात आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

21. फ्लैट आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

22. मण्डल निर्मित फ्लैटों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

23. किराया क्रय पद्धति से फ्लैट आवंटित होने पर तथा फ्लैट का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत् आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन–पत्र पूर्व में जारी आवंटन पर के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास/फ्लैट की एक मुश्त (नगद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ति/ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् आवंटित फ्लैट की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरुप ही की जायेगी। नगद भुगतान पद्धति से फ्लैट आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

24. आवेदक को लॉटरी द्वारा फ्लैट आवंटित किये जाने के पश्चात् फ्लैट की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन–पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर फ्लैट का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

25. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख–रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही फ्लैटों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने फ्लैट के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास/फ्लैट के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे, जिनका फ्लैटों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगेः–

(क) **लीज राशिः** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

(ख) किराया क्रय अग्रिम जमा राशि : यह राशि जो कि फ्लैट की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रुप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रुप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।

(ग) **अन्य खर्चे :**

(i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आवंटित आवास में अधिक्य (Surplus/Excess/Extra) भूमि होने पर अधिक्य भूमि की दर भी आवास की भूमि की दर के समान होने का प्रावधान किया गया है एवं नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(ii) अन्य विविध खर्चे, जो कि मण्डल समय समय पर निर्धारित करें।

27. मण्डल के फ्लैट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लैट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लैट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे–आवास/फ्लैटसम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि फ्लैट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लैट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। इस प्रकार प्रकरण अनुसार आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए एवं नियमानुसार अन्य राशि वसूल करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :–
    1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
    2. सेनेटरी फिटिंग
    3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

31. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों/फ्लैटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों में मकान/फ्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर के अन्य योजनाओं में मकान/फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा एवं इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले मकान/फ्लैट प्रस्तावित डिजाईन/स्पेशिफिकेशन आदि में परिवर्तन किये जाने का मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा।

32. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/ परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

33. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

34. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात संख्या, दिनांक तथा सम्बंधित बैंक जिससे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक ''राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर'' के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा कार्यालय आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, जयपुर के पते पर निर्धारित

दिनांक तक आवश्यक रुप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

35.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–प्रथम,जयपुर के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.rhb.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

36. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से आवास/फ्लैट लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

37. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

38. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास/फ्लैटलेना चाहता है।

39. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए, यदि नहीं करता है तो उसे किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जायेगा।

40. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।

41. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

42. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दुः

i॰ इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।

iii. आवेदन–पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण–पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।

iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

viii. आवास/फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद आवास/फ्लैट का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

x. आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

xi. इस योजना में निर्धारित आयवर्ग से दो आयवर्ग ऊपर अथवा दो आयवर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आयवर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आयवर्ग के ऊपर के आयवर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आयवर्ग से नीचे के आयवर्ग को तृतीय वरीयता दी जायेगी।

xii. यदि किसी आवेदक को जयपुर शहर में मण्डल की किसी भी आवासीय योजना में पूर्व से ही आवास/फ्लैट आवंटित किया गया है तो ऐसे आवेदकों को योजना में द्वितीय वरीयता रखा जायेगा।

xiii. आवेदन पत्र व पुस्तिका (Booklet) इन्टरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है परन्तु पंजीयन राशि के साथ रू 354/– की डीडी/पे–ऑर्डर अलग से संलग्न करना अनिवार्य है।

<u>सभी आवेदको के लिए</u>

शपथ–पत्र

मै..... पुत्र/पत्नी श्री .....आयु.....वर्ष,जाति..... निवासी . .....एतद्द्वारा सशपथ घोषणा करता/ करती हूँ कि :–

1. मैं भारत का/ की नागरिक हूँ ।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा, जिसके लिये मैं स्वियं जिम्मेदार रहूंगा।
3. यह कि मैं इस योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी का सदस्य रहुंगा/रहुंगी तथा सोसायटी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा / करूंगी।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्य में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथय छिपाया गया हैं,ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र/ आवंटन को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

<u>सत्यनिष्ठा</u>

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/ करती हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छुपाया नहीं हैं। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ–पत्र 100/– रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिये तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायकध कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होनाचाहिए।)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र

शपथ–पत्र

मैं .....पुत्र/पत्नी श्री ..... आयु..... जाति ..... निवासी ....(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँः–

1. कि मेरे परिवार की वर्ष 2025–2026 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थीः–

   अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से .... रुपये थी।

   ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोंतों से वार्षिक आय ....रुपये थी।

   स.कि वित्तीय वर्ष 2025–2026 में मेरे परिवार की कुल आमदनी .....रुपये थी।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....जाति .... निवासी ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में है एवं सत्य हैं मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(उपरोक्त शपथ–पत्र 50/– रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी श्री .....इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था (विभाग/संस्था का नाम) ..... में..... पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रुपये ....प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/..... पुत्र/पत्नी श्री ..... निवासी.....जिला ....संभाग.....राज्य .....जाति .....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम..... जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

MIG-B (3BHK Flats)

(1) **Structure: RCC frame structure**

(2) Walls: Brick masonry walls in CM 1:6 & Half Brick Masonry in CM 1:4

(3) Finishing:

(I) 6mm thick Ceiling Plaster in CM 1:3

(II) 12mm thick inner plaster in CM 1:4

(III) 20mm thick outer plaster in CM 1:4

(IV) POP- Inner side walls and ceiling of flats

(V) Plastic Emulsion paint on inner surfaces, Exterior emultion in corridors & texture paint on exterior surfaces

(VI) UPVC windows/Aluminium windows

(VII) 30mm thick flush door shutters

(VIII) Wall tiles of size 300x450mm in toilets & Kitchen

(iX) Double charge vitrified tile flooring of size 600x600mm or above in flats as per room size.

(X) MAT finished tiles floor in balconies, toilet.

(XI) Granite/Green Marble- Kitchen Table Counter, Lift face, door sills,
common stairs

(XII) Kota stone flooring- Fire stairs

4. M.S. railing in Balconies and staircases

5. Water Supply & Sanitary works

(i) G.I. pipes on terrace & subsurface and CPVC pipe fittings for internal work.

(ii) Type "B" UPVC SWR pipe for sewage & Rigid UPVC pipe for RWH.

(iii) Jaguar Continental bath fittings.

FACILITIES

1. Following features in scheme: -
    i. Community Hall
    ii. Shops
2. Lawn
3. Security System (Guard Room)
4. Plantation
5. 24 hours water supply
6. Power Backup system

आवेदक द्वारा भरा जावे

आवेदन पत्र चालान क्रमांक .....

राजस्थान आवासन मण्डल

"विशिष्ट पंजीकरण योजना 2026"
अधिस्वीकृत पत्रकार बन्धुओं के लिए
नई आवासीय योजना, सेक्टर–9, इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा,जयपुर
मध्यम आय वर्ग–ब के बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग
(B+S+9) 72 फ्लैटों के पंजीकरण हेतु
आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

आवेदन पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु			आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान चिपकाया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण–स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	
12.	क्या वाछिंत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हॉ/नहीं		हॉ/नहीं	

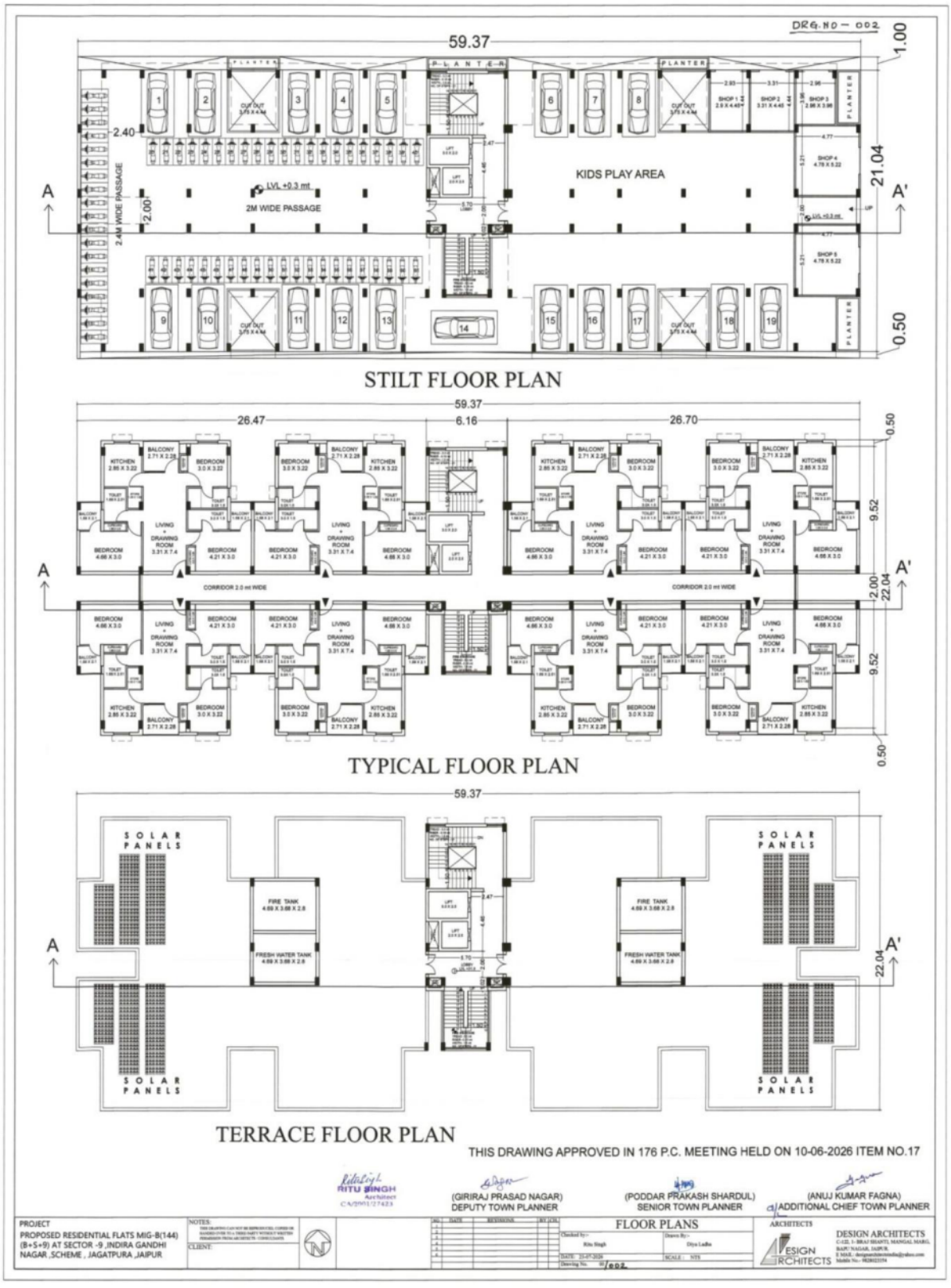
आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है – सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग/पुरस्कृत /पदक
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक/सहायक **कार्यालय अधीक्षक** **स. आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक**

Block B
(3 BHK **Flats**)

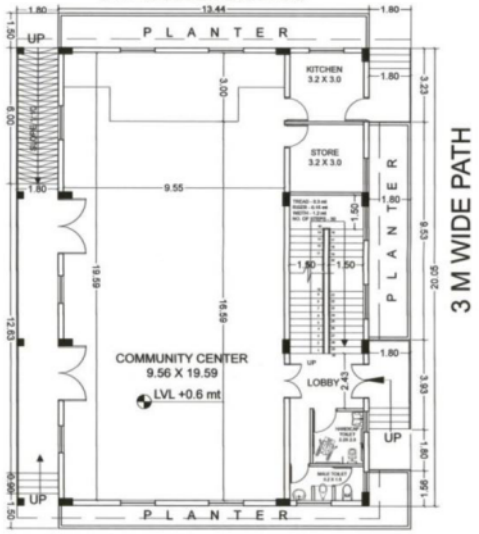


DRG. NO- 003

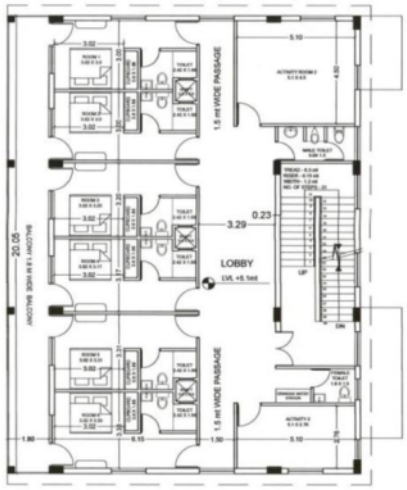
Community Centre

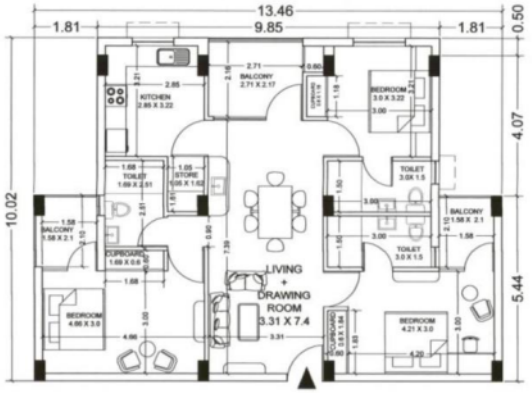
Unit Plan 3 BHK

6 M WIDE DRIVE WAY



3 M WIDE PATH





6 M WIDE DRIVE WAY

GROUND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

SINGLE UNIT BUILD UP AREA	118.38 sq.m
SINGLE UNIT CARPET AREA	95.05 sq.m
SINGLE UNIT SUPER BUILD UP AREA	138.84 sq.m

SINGLE UNIT PLAN

COMMUNITY CENTER CALCULATION				
		BLOCK AREA	CUTOUTS	GROSS B.A.R.
1	STILT FLOOR	318.30 sq.mt	-	318.30 sq.mt
2	FIRST FLOOR	305.68 sq.mt	-	305.68 sq.mt
3	MUMTY FLOOR	26.16 sq.mt	-	26.16 sq.mt
	TOTAL			650.14 sq.mt

COMMUNITY CENTER

RituSingh RITU SINGH Architect

THIS DRAWING APPROVED IN 176 P.C. MEETING HELD ON 10-06-2026 ITEM NO.17

(GIRIRAJ PRASAD NAGAR)
DEPUTY TOWN PLANNER

(PODDAR PRAKASH SHARDUL)
SENIOR TOWN PLANNER

(ANUJ KUMAR FAGNA)
ADDITIONAL CHIEF TOWN PLANNER

PROJECT
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS MIG-B(144)
(B+S+9) AT SECTOR -9 ,INDIRA GANDHI
NAGAR ,SCHEME , JAGATPURA ,JAIPUR

NOTES:
THIS DRAWING CAN NOT BE REPRODUCED, COPIED OR HANDED OVER TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM ARCHITECTS / CONSULTANTS.

CLIENT:

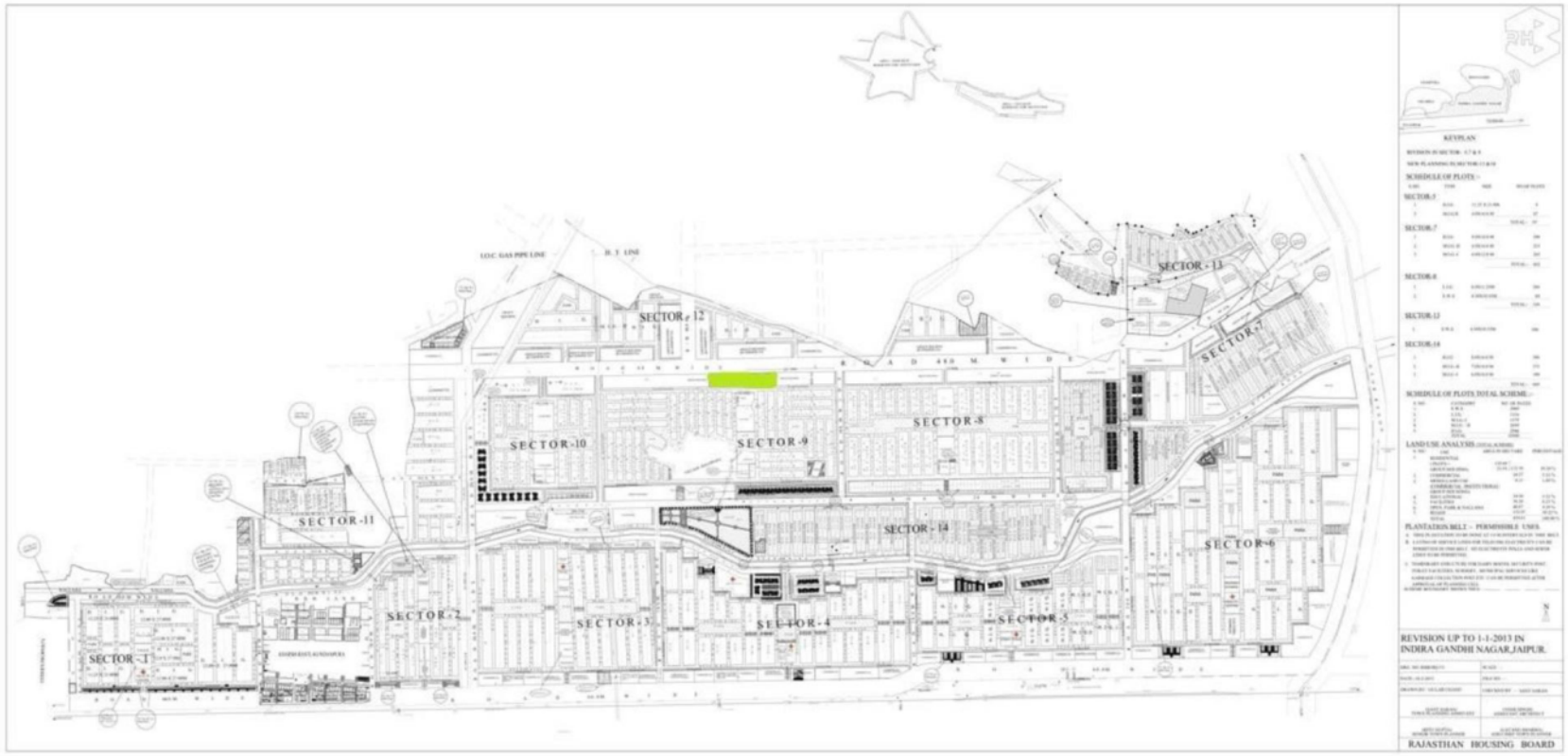
NO.	DATE	REVISIONS	BY	CH.
1				
2				
3				
4				
5				
6				

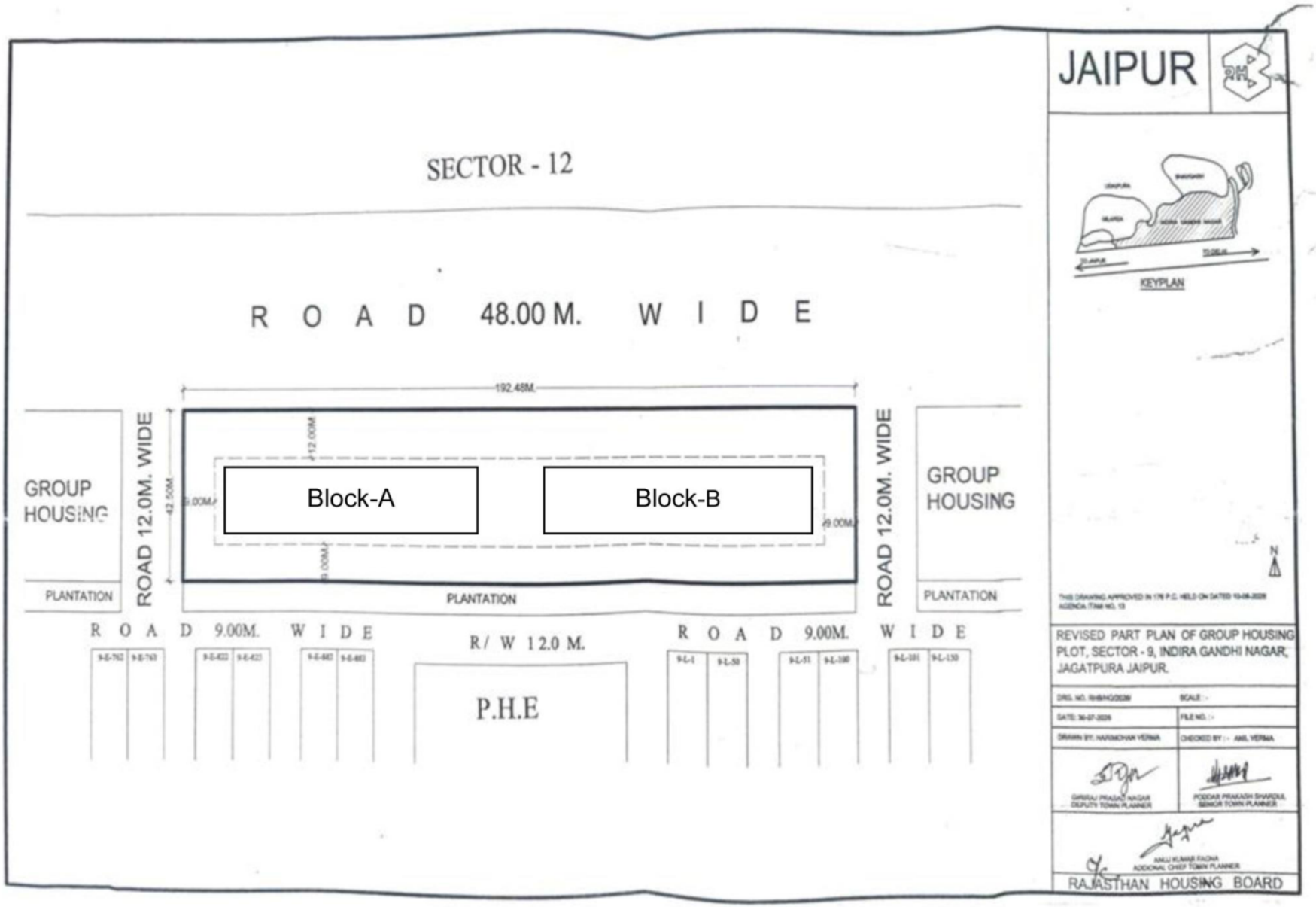
SINGLE UNIT & COMMUNITY CENTER PLAN

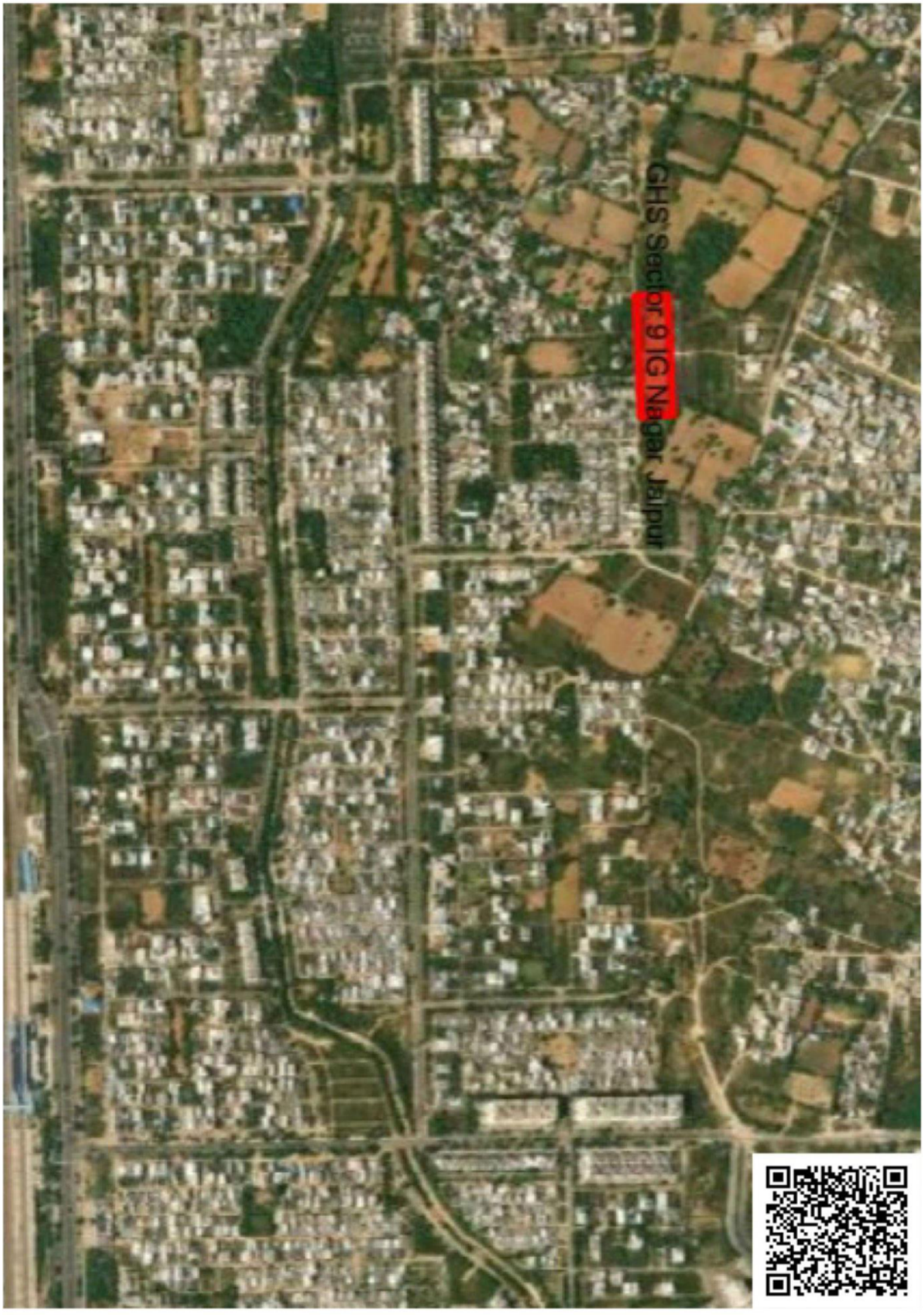
Checked by:-	Drawn By:-
Ritu Singh	Diya Ladha
DATE: 23-07-2026	SCALE : NTS
Drawing No. 00 / 003	

ARCHITECTS
DESIGN ARCHITECTS

DESIGN ARCHITECTS
C-122, 1- BIRAJ SHANTI, MANGAL MARG,
BAPU NAGAR, JAIPUR.
E MAIL: designarchitectsindia@yahoo.com
Mobile No.- 9828023354


SECTOR -1
SECTOR -2
SECTOR -3
SECTOR -4
SECTOR -5
SECTOR -6
SECTOR -7
SECTOR -8
SECTOR -9
SECTOR -10
SECTOR -11
SECTOR -12
SECTOR -13
SECTOR - 14
KEYPLAN
REVISION UP TO 1-1-2013 IN INDIRA GANDHI NAGAR,JAIPUR.
RAJASTHAN HOUSING BOARD


SECTOR - 12
R O A D 48.00 M. W I D E
192.48M.
12.00M
42.50M
9.00M
Block-A
Block-B
9.00M
9.00M
GROUP HOUSING
ROAD 12.0M. WIDE
PLANTATION
PLANTATION
ROAD 12.0M. WIDE
GROUP HOUSING
PLANTATION
R O A D 9.00M. W I D E
R/ W 12.0 M.
R O A D 9.00M. W I D E
P.H.E
JAIPUR
KEYPLAN
N
REVISED PART PLAN OF GROUP HOUSING PLOT, SECTOR - 9, INDIRA GANDHI NAGAR, JAGATPURA JAIPUR.
RAJASTHAN HOUSING BOARD


GHS Sector 9 IG Nagar Jaipur

राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान 302005

info.rhb@rajasthan.gov.in

rhb.rajasthan.gov.in

हमारा प्रयास- सबको आवास